भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए बजट में 32526 करोड़ रु. का प्रावधान किया

यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है, जो कि सरकार का लक्ष्य 'निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान' के लिए अहम है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए बजट 2026-27 में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य 'निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान' है।

राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं। इससे मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से उपलब्ध हो रही है। वहीं ई-संजीवनी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

टेलीमेडिसिन के जरिए 20.33 लाख मरीजों को घर बैठे परामर्श मिला। सरकार आरजीएचएस, आयुष्मान वय वंदन योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाओं से हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए जयपुर स्थित जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का नया आईपीडी टॉवर बनेगा। यहां पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग भी स्थापित होगा।

इसके साथ ही आरयूएचएस अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी और निओनेटल आईसीयू विकसित किया जाएगा।

जयपुर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के अन्य प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को भी बजट में मजबूत किया गया है।

इसमें जोधपुर के लिए 461 करोड़, उदयपुर के लिए 333 करोड़, कोटा के लिए 341 करोड़, अजमेर के लिए 345 करोड़ और बीकानेर के लिए 276 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इन संस्थानों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, ट्रॉमा सर्जरी सुपर स्पेशलिटी कोर्स और बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे।

राज्य में वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2,875 पीएचसी, 15,292 उप स्वास्थ्य केंद्र और 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं।

बजट में कई पीएचसी को सीएचसी, सीएचसी को उप जिला अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नत किया जाएगा।

विधायक रोहित बोहरा द्वारा सदन में अश्लील इशारा करने का मुद्दा गर्माया

सत्ता पक्ष ने इस आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई, जबकि विपक्ष ने सहानुभूति बरतने का आग्रह किया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा द्वारा कथित अश्लील इशारा करने का मामला शुक्रवार को सदन में गर्माया। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने शुक्रवार को सदन में यह मुद्दा उठाते हुए विधायक के आचरण पर खड़े किए और कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष के मंत्री व विधायकों ने रोहित बोहरा के इस आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि विपक्ष ने सहानुभूति बरतने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे संबंधित वीडियो फुटेज देखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आचरण सदन की गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को सदन में यह मुद्दा भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने सदन के भीतर अश्लील इशारा किया, जो विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। कृपलानी ने अध्यक्ष से व्यवस्था देने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा की समृद्ध परंपराएं रही हैं, लेकिन हाल के समय में आचरण का स्तर गिरता दिखाई दे रहा है।

- **विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे संबंधित वीडियो फुटेज देखेंगे। यदि आचरण सदन की गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।**

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आचरण और वाणी से जुड़े विषय अत्यंत संवेदनशील होते हैं। बहस के दौरान सदस्य कभी-कभी उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर और बाहर मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक शांति धारीवाल पहले भी अभद्र भाषा का उपयोग कर चुके हैं, और अब अश्लील इशारे जैसी घटना अत्यंत चिंताजनक है।

विपक्ष के सचेतक ने कहा कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं पर सदन में माफी दी गई है। उन्होंने आग्रह किया कि रोहित बोहरा के मामले में भी सहानुभूति रखते हुए माफी देकर प्रकरण को समाप्त किया जाए।

अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता सदन की कार्यवाही देखती है और हर विधायक लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों से मर्यादित और जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। गुरुवार को शून्यकाल के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया था। जब कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे।

उसी दौरान उनके पीछे बैठे रोहित बोहरा पहले किसी विधायक की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे, लेकिन कुछ क्षण बाद कैमरे में हंसते हुए कथित रूप से अभद्र इशारा करते नजर आए। यह दृश्य विधानसभा की लाइव फीड में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई।

पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना में दौसा शामिल

जयपुर (वि.सं.)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत) के अंतर्गत लाभान्वित जिलों में दौसा जिला भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि परियोजना की डीपीआर वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में परीक्षणाधीन है।

मादकों पदार्थों के लिए एक दर्जन दुकानों पर छापामारी

जयपुर। मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत शहर के विभिन्न थानों की स्पेशल टीम और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक दुकानों पर छापेमारी कर ई-सिगरेट बरामद की है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने अलग -अलग जगहों से 8 जगह पर ई-सिगरेट बरामद की है। स्पेशल टीमों ने ई-सिगरेट जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस को सौंप दिया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपनी बेटी का नाम इल्मा अख्तर से बदलकर सारा अख्तर कर दिया है, रफीक अहमद पुत्र अब्दुल रहीम, निवासी- 67, गली नंबर 5, जियाउद्दीन कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर

मैं, मीरा श्रीवास्तव, निवासी बी-262 (विला नं. 34), आर्केडिया ग्रीन्स, गांधीपथ वेस्ट, वैशाली एस्टेट, सिरसी, जयपुर - 302012, यह घोषित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत रूप से मीरा श्रीवास्तव (Shreevastav) अंकित है। मेरा सही नाम मीरा श्रीवास्तव (Srivastava) है।

मैं ऐना खान पुत्री श्री शाकेब खान निवासी 3/72, सेक्टर- 3, जवाहर नगर, जयपुर। मैंने नाम ऐना से बदलकर ऐना खान (AINA KHAN) रख लिया है। भविष्य में मुझे ऐना खान के नाम से जाना जाये।

मेरा नाम धोली बाई मीणा एवं ढोली बाई मीना जो मेरे दस्तावेजात में अंकित को बदलकर दीपिका मीना पुत्री श्री खिल्ली राम मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी- बहादुरपुर अलवर (राज.) हाल निवासी प्लॉट नं- 72, शिवराम कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर, राज. के उक्त नए नाम से जाना जावे।

मैं जय किशन मूलचंदानी पुत्र श्री पारस राम निवासी 85/ 221 सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर (राजस्थान) मेरे दस्तावेजों में नाम जय किशन मूलचंदानी है तथा पासपोर्ट में मेरा नाम जय किशन है मैं जय किशन के स्थान पर जय किशन मूलचंदानी करवाना चाहता हूं जो की सही है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए

I have changed my name from Yuvraj Singh Tanwar to Yuvraj Singh S/o Vikram Singh for all purpose. Resi.: Plot No. 16, Keshav Nagar, Jamdoli, Jaipur

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वाके महानगर जयपुर नाई की थड़ी ग्राम बड़ी का बॉस के अन्तर्गत सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर पंजीयन क्रमांक 2235-एल द्वारा विकसित की गई आवासीय योजना "सीमा विहार" में काटे गये भूखण्डों में से आवासीय प्लाटस नम्बर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 व 42 के मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री हमामुद्दीन खान एक मात्र मालिक स्वामी एवं काबिज है। मोहम्मद इकबाल ने एक इकरारनामा श्री मोहम्मद रहमत पुत्र श्री मोहम्मद ईशाक के हक में दिनांक 08.10.2024 को निष्पादित किया था। इकरारनामा की समयावधि दिनांक 08.02.2025 को समाप्त हो चुकी है। इकरारनामा में Time is essence of contract था। आप इकरारनामा की पालना करने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए भी इकरारनामा निरस्त हो चुका है। जिसकी जुबानी/लिखित सूचना श्री मोहम्मद रहमत पुत्र मोहम्मद ईशाक को दी जा चुकी है। अब मोहम्मद इकबाल प्लाटस नम्बर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 व 42 को अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र है। यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो, तो वह लीन योम में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दिनांक-13.02.2026 मुजीब उर रहमान, एडवोकेट मो. 9587860191, रजि.नं. आर/2531/2020

NAME CHANGE

I Hemraj Sharma Son Of Shimbhu Dayal Sharma My Army No. 6949710H Rank NK/DVR 18 ROU c/o 56-APO of Village Duhar Chogan Teh. Thanagazi Distt Alwar State Rajasthan I have Changed my Father name Shimbu Dayal Sharma to Shimbhu Dayal Sharma to all future will be known as Shimbhu Dayal Sharma

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
29 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली
28.01.2026 अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम सं. 10, सांगानेर स्थान जयपुर महानगर-प्रथम
अनुराधा शर्मा व रुद्रांश शर्मा विरुद्ध हर आम व खास
वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 बाबत अव्यस्क संतान की संपत्ति उसके हितार्थ विक्रय करने की अनुमति चाहने U/S 8 हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956
प्रार्थना पत्र संख्या 38/2024 सन्
नाम हर आम व खास पुत्र.....जाति..... पता.... उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि जिसकी नकल सलंग्न है
अतः आपको चेतवानी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 19 माह 02 सन् 2026 को 8:00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक् रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जावेगा।
यह आज दिनांक 27 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
अपर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-10, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया-पाया

हमारा एक पाँच सौ रूपया का हस्ताक्षर युक्त खाली स्टाम्प नं. 21 425521 रजि. नं. 2149 दि. 16-09-2025 ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी से न्यायालय गंगापुर के बीच कहीं गिर गया है। उक्त स्टाम्प का यदि कोई दुरूपयोग करता है तो वह स्वयं इसका जिम्मेदार होगा।
भवदीय
सतीश शर्मा पुत्र श्री मिठ्ठनलाल शर्मा नोशद खान पुत्र अ. सलाम गंगापुर सिटी

आम सूचना मेरे अभिभाष्य श्री भंवर सिंह मेड़तियाँ पुत्र श्री अमर सिंह निवासी प्लाट नम्बर 05, श्याम नगर खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर नगर प्रान्त राजस्थान-302012 की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य का पुत्र दीपेन्दर सिंह मेड़तियाँ एवं पुत्रवधु श्रीमती कंचन पंवार मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है वे मेरे अभिभाष्य के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिये मेरा अभिभाष्य अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से अपने पुत्र दीपेन्दर सिंह मेड़तियाँ एवं पुत्रवधु श्रीमती कंचन पंवार को बेदखल करता है तथा भविष्य में मेरे अभिभाष्य का अपने पुत्र दीपेन्दर सिंह मेड़तियाँ एवं पुत्रवधु श्रीमती कंचन पंवार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीपेन्दर सिंह मेड़तियाँ व श्रीमती कंचन पंवार के साथ यदि कोई व्यक्ति/संस्था किसी भी प्रकार का संव्यवहार, पैसो को लेन-देन इत्यादि करता है तो उन सबकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। सूचित रहे।
निकिता भार्गव, एडवोकेट
मो.9414209279, 9460724170, 8094789095

महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय

9829570043 चौमूँ, जयपुर 9784127000

प्रवेश सूचना सत्र 2025-26

Diploma in AYUSH Nursing & Pharmacy (DAN&P)

महाविद्यालय के आयुर्वेद नर्सिंग एण्ड फार्मेसी पाठयक्रम सत्र 2025-26 मे राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर की अंतिम काउंसलिंग के उपरान्त रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु योग्यताधारी अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
योग्यता :- 10+2 उत्तीर्ण
आयु :- 17 वर्ष (31 दिसम्बर 2025)
काउंसलिंग तिथि :- 25 फरवरी 2026
प्राचार्य

COLLEGE OF AGRICULTURE

(S.K.N. Agriculture University-Jobner)
Bhusawar – Bharatpur (Rajasthan)-321406
Mob: 9414714234 Email.dean.coabhusawer@sknau.ac.in
No.F.( )/E-Tender/ COA-B/2026/ 941 Dated: 10-02-2026

NOTICE INVITING BID

Bid for open e-tender regarding Furniture & Fixture Items are invited from interested bidders upto 05.00 AM, 23.02.2026 and Bid opening date 24.02.2026 at 11.00 AM and other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in & http://eproc.rajasthan.gov.in of the state; www.sknau.ac.in University website.
NIB code SKN2526A0421 and UBN is SKN2526GLOB00456
Raj.Samwad/C/25/19776 DEAN

प्रारूप 10 (नियम 8 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का नाम:- नगर परिषद, गंगापुर सिटी
क्रमांक:-8357 लोक सूचना दिनांक: 13.2.2026
कैलाशचन्द पुत्र पून्या राजस्व ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयाजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकरो के निवापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर
गंगापुर सिटी	उदेईकलां	6987/4005, 7018/2002	1,4700

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13-2-2026 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त

॥ शोक सन्देश ॥

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी
श्रीमती ठुकरानी नंदा देवी
(पूर्व प्रधान पंचायत समिति किशनगढ़ बास जिला खैरथल तिजारा) (ठिकाना माहुन्द)
का स्वर्गवास दिनांक 13.2.2026 को हो गया है। जिसकी बैठक निज निवास किशनगढ़ बास में रखी गई है। जिनका दिन शुद्ध (शीशी पूजन) 24. 02.2026 को होगा।
शोकाकुल: पूर्व प्रधान ठा. पद्म श्री सूर्यवेव सिंह बारेठ - (पति)
ठा. भवानी सिंह, ठा. हेमकरण सिंह, ठा. परमवीर सिंह, ठा. रघुवीर सिंह (देवर), कुंवर सुधीर सिंह-मनीषी मेहरू, कुंवर संजीव सिंह बारेठ-तपस्या पालावत (पुत्र-पुत्रवधु), डॉ. सुनीता पालावत-गिर्राज सिंह जी, विनिता पालावत-संदीप भारद्वाज जी, सुचेता सिंह पालावत-भरत सिंह जी (पुत्री-दामाद), ठा. डॉ. अरविंद पालावत, ठा.विक्रम सिंह, भानु प्रताप, ठा. विश्व प्रताप सिंह, ठा. शरद पालावत, ठा. आदर्श पालावत (भतीजे), एडवोकेट जन्मेजय सिंह, जानकी बारेठ (पौत्र- पौत्रवधु),दिग्विजय सिंह (पौत्र), एडवोकेट प्रज्ञा पालावत - अभिजीत सिंह शाह, मैत्रेयी पालावत-विपुल सिंह, प्रियदर्शनी पालावत-कुबेर सिंह (पौत्री-पौत्रीदामाद), डोना बाईसा (पड़पोत्री), अस्मिता सिंह, वसिमता सिंह, शिव रंजिनी (दौहित्री), दिव्यित भारद्वाज (दौहित्र)
पीहर पक्ष: डी डी चारण (भाई), मनीष चारण (भतीजा),
सम्पर्क - 9024122966, 9414022047, 9372233405

Before Hon'ble Motor Accident Claim Tribunal (Spel.) at Rajkot
Claim Case No. 896/2022
Advocate of Applicant: K.K. Vaghela
Next Date 18/03/2026
Applicant:
L/H KEYURBHAI@VAIBHAVBHAI DILSUKHBHAI DALSANIYA 'S LEGAL HEIRS 1. PRIYANKABEN KEYURBHAI@VAIBHAVBHAI DALSANIYA ETC, OTHER 2 Residing at - MARUTI NANDAN APPRTMENT, LAKSHMINARAYAN SOC., OPP. ESSAR PETROL PAMP, TRAJPAR CHOKADI, MORBI.
Versus
Opponent
Truck No. RJ-14-GN-6238's
1. Owner: Arsad (Prop Dhamala Roadlines) Add. : 25 Asyana City Kho Nagoriyan, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan - 302017.
It is hereby inform that in the above case, the applicants have filed an application before the 9 Addl. District Judge And Spel. Motor Accident Claim Shri V.K. Bhatt's Tribunal for compensation of Rs. 1,00,00,000/- under Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 (as amended in 1994) against you opponent. You are therefore hereby directed to appear before this Tribunal in person or through advocate on 18-03-2026 at 10.45 a.m. to answer the said application. You should be prepared to produce on that day all the written evidence on which you base your defence.
And you are hereby inform that if you do not appear on the day above mentioned, the application will be heard and disposed of in your absence.
You are further notified that if you fail to write letters for hearing on or before the date specified, your defence will not be entertained.
Today on Date 18/02/2026 with signature and seal of Tribunal.
Prepare Superintechan M.A.C.T. (Spel.) Rajkot — Court Seal — By Order cy. B.Bhatt Deputy Registrar M.A.C.T. (Spel.) Rajkot

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद खान निवासी-785 मोहल्ला ईमाम चौक, बास बदनपुरा, जयपुर राजस्थान ने अपने पुत्र अब्दुल एजाज उर्फ लालू को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। मेरे अभिभाष्य का पुत्र अब्दुल एजाज उर्फ लालू आये दिन अपनी पत्नी नजमा के कहने में आकर मेरे अभिभाष्य व उसकी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है एवं हैरान परेशान करता है एवं मेरे अभिभाष्या के कहने में नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि अब्दुल एजाज उर्फ लालू से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार लेन-देन करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
दिनांक-13.02.2026 (मोहम्मद शरीफ) एडवोकेट मो. 9887188430

राजस्थान आवासन मण्डल- वृत तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
क्रमांक 500 फोन- 0141-4901853 दिनांक 12/02/2026
-: **आम जाहिर सूचना** :-
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4/म/53 जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 139.00 वर्गगज का आवंटन श्री हरी नारायण शर्मा पुत्र श्री गोरी लाल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5440 दिनांक 30/08/1976 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 05/11/1977 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन पत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर नगर से दिनांक 13/04/1982 को करवाया गया। स्व. श्री हरी नारायण शर्मा की मृत्यु दिनांक 15/01/2020 को हो जाने के कारण श्री पुरेन्द्र एन. शर्मा, श्री तुलसी एन. शर्मा पुत्रान श्री हरी नारायण शर्मा एवं श्रीमती नारेन्द्रा शर्मा पत्नी श्री महेश पुत्री स्व. श्री हरी नारायण शर्मा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा रिपोर्ट प्रस्तुत कर, उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने संयुक्त नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दंवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री पुरेन्द्र एन. शर्मा, श्री तुलसी एन. शर्मा पुत्रान स्व. श्री हरी नारायण शर्मा एवं श्रीमती नारेन्द्रा शर्मा पत्नी श्री महेश पुत्री स्व. श्री हरी नारायण शर्मा के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगरपालिका चाकसू जिला जयपुर (राज.)
क्रमांक-न.पा.चा./2026/8184 दिनांक-13.02.2026
लोक सूचना
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भूमि की निम्नानुसार पत्रावली/प्रार्थना पत्र मय साईट प्लान राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के तहत निस्तारण हेतु विचाराधीन हैं-
क्र.सं.-1, नाम/पिता पति का नाम व पता-1.श्री कैलाश चौधरी व मुकेश चौधरी पुत्रान जगदीश चौधरी निवासी वार्ड नं. 21, बढनी की ढाणी, चाकसू, जयपुर, ग्राम का नाम व खसरा नं.-चाकसू (पश्चिम तह. चाकसू खसरा नम्बर 11749, 11759, 11761, 11760/2 कुल किता 04 कुल रकबा 0.3000 हैक्टर, विषय-व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
उक्त भूमि के नियमन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है तो यह आपत्ति को लिखित में इस सूचना प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के अन्दर-2 इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति अंगीकार नहीं की जावेगी एवं तदानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।
उक्त सूचना आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुहर द्वारा प्रसारित किया गया।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू

उत्तर पश्चिम रेलवे
PROFORMA-10.01
भारतीय रेलवे
सार्वजनिक सूचना
रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं को एतत् द्वारा सूचना दी जाती है कि जयपुर मण्डल उत्तर पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित खण्ड पर **25000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज,** एसी शिरोपरि कर्षण तारों को खण्ड के सामने निर्विर्दिष्ट तारीख **18.02.2026** को या बाद में ऊर्जित किया जाएगा। उस तारीख पर और उस तारीख से शिरोपरि कर्षण लाइन को सब समय विद्युन्मय माना जाएगा और कोई अनाधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरि लाईन की सामीप्यता में दाखिल होने या काम करने नही जाएगा।
खण्डः
जयपुर मण्डल के लालसोट (सहित)- गंगापुर सिटी (रहित) में ओएचई एकल लाइन सेक्शन के मास्ट नं. 43/04 (किमी 43/220.50) से 1094/F-12 (किमी 94/917.30) तक

PROFORMA 10-02
भारतीय रेलवे
"सड़क उपभोक्ताओं को चेतावनी"
जनसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि जयपुर मण्डल, उत्तर पश्चिम रेलवे के खण्ड **लालसोट (सहित)- गंगापुर सिटी (रहित) में ओएचई एकल लाइन सेक्शन के मास्ट नं. 43/04 (किमी 43/220.50) से 1094/F-12 (किमी 94/917.30) तक दिनांक 18.02.2026 या उसके बाद 25000 वोल्ट** पर उर्जित होने के कारण सभी समपारों पर सडक सतह से **4.78 मी.** की स्पष्ट ऊंचाई पर ऊंचाई गेज लगाई गई और अत्यधिक ऊंचाई के भार को संपर्क में आने या खतरनाक निकटता से बचाने के लिए **कॉन्टैक्ट वायर रेल स्तर से कम से कम 5.50 मीटर की ऊंचाई पर होगा ताकि बहुत अधिक ऊंचाई वाले लोड को विद्युन्मय कर्षण तार की खतरनाक सन्निकटता या सम्पर्क में आने से रोका जा सके।**
जन साधारण को एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वाहनों के लदान के प्रयोजन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट ऊंचाई का पालन करें और यह देखें कि सड़क वाहन में ढ़ोये जा रहे लोड से किसी भी स्थित में ऊंचाई गेजों का उलंघन न करें।
1. अत्यधिक गेज के लिए खतरा और उसके फलस्वरूप सड़क और रेलवे लाइन पर बाधा।
2. वाहन पर ले जाये जा रहे सामग्रियों या उपस्कर को खतरा।
3. चालको की खतरनाक सामीप्यात या संपर्क के कारण आग का खतरा और जीवन की हानि का खतरा
230-AR/26 उप-मुख्य विद्युत अभियंता, जयपुर
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे०एल०एन० मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक : 506 दिनांक : 13/02/26
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा आवास संख्या- 3/ट/13 जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 136.00 वर्ग गज का आवंटन श्री मित्र सैन गुप्ता पुत्र स्व. श्री हंस राज अग्रवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 11199 दिनांक 22/07/1975 जारी किया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर नगर में दिनांक 30/11/1976 को करवाया गया। श्री मित्र सैन गुप्ता की मृत्यु दिनांक 15/11/2025 को जाने के कारण श्री हेमन्त गुप्ता एवं श्री राजकुमार गुप्ता पुत्रान स्व.श्री मित्रसैन गुप्ता के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनि शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत कर, उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री हेमन्त गुप्ता एवं श्री राजकुमार गुप्ता पुत्रान स्व. श्री मित्रसैन गुप्ता के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेंगी।
(हस्ताक्षर) सम्पदा प्रबंधक
वृत तृतीय, रा०आ०मण्डल, जयपुर

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी पीठासीन अधिकारी- पूजा बेनीवाल आर.जे.एस
रामसिंह आदि बनाम हरखास आम आदि दावा बाबत् घोशित किये जाने विधिक मृत्यु (सिविल डैथ)
नोटिस हर खास आम-
सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि रामसिंह प्रेमसिंह, किशनसिंह व गणपत पिसारान श्रीफल व शिमलादेवी, अमला देवी, कमलेश पत्री श्रीफल सभी जातियान मीना निवासीयान खेडीशीश पंचायत समिति श्रीमहावीरजी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पिता श्रीफल पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी खेडीशीश की विधिक मृत्यु (सिविल डैथ) घोषित करने का माननीय न्यायालय में दावा पेश किया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को उक्त दावे को स्वीकार किये जाने में आपत्ति होतो वह अपनी उपस्थिति इस न्यायालय में दिनांक 27.02.2026 को समय 10:00 ए